न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 60/2015

1. राघव मालपानी पुत्र श्री रमेश मालपानी आयु 23 वर्ष निवासी 20 सी ब्लाक, श्रीगंगानगर।
2. करण पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पेड़ीवाल आयु 28 वर्ष निवासी रायसिंहनगर हाल 20 सी ब्लाक, श्रीगंगानगर ।
3. प्रदीपा पत्नी श्री गोपाल राम पेडीवाल आयु 51 वर्ष निवासी गर्ल्स स्कूल के पास रायसिंहनगर
4. अनुपमा पत्नी श्री सुरेन्द्र चाण्डक आयु 53 वर्ष निवासी 20 सी ब्लॉक श्रीगंगानगर
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गोपालराम सोनी निवासी 59 सी प्रेम नगर श्रीगंगानगर
6. चन्द्रकला पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी निवासी 59 सी प्रेम नगर श्रीगंगानगर

——वादीगण

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र श्री हीराराम जाति जाट, आयु 55 साल निवासी चक 3 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. ओमप्रकाश आयु 58 वर्ष जाति जाट निवासी चक 3 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. हीराराम पुत्र श्री राहुराम आयु 80 साल जाति जाट निवासी चक 3 ए. छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेश अरोड़ा — वादीगण
2. पैरोकार राज श्रीगंगानगर — प्रतिवादी संख्या 4

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 10.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के नाम से चक 3 ए छोटी, नं. तहसील व जिला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

श्रीगंगानगर के खाता सं. 126/79 मुरब्बा 35,36,37,42,43 की कुल 11.385है0 कृषि भूमि नहरी मय खाला मुश्तरका खाता में खातेदारी दर्ज थी, जो अब वर्तमान मे वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है। जमाबंदी की नकल शामिल है। उक्त रकबा में से वादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज श्री हरकचंद मालपानी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.10.1996 के द्वारा प्रतिवादीगण सं. 3 से 4 बीघा कृषि भूमि खरीद की, जिनकी मृत्यु उपरान्त उपरोक्त भूमि जरिये वसीयत वादीगण सं. 1 ता 4 को प्राप्त हुई और उक्त वसीयत अनुसार ही राजस्व अभिलेख मे वादीगण के नाम से उपरोक्त रकबा चढ़ा हुआ है। स्वर्गीय हरकचंद द्वारा जो रकबा खरीद किया गया, उसका कब्जा निम्न प्रकार से किला वाईज प्रतिवादी सं. 3 द्वारा हरकचंद को दिया गया:–

किला नं. 22 ता 25 प्रत्येक में 110 गुणा 165 फुट, किला नं. 21 में 110 गुणा 132 फुट दक्षिणी हिस्सा, मुरब्बा नं.43 के किला नं. 1 मे 132 गुणा 165 फुट कुल 4 बीघा।

इस प्रकार से उपरोक्त भूमि का कब्जा दिया जाने के सम्बन्ध मे प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पूर्वज को लिखकर दिया हुआ है और खरीद की दिनांक से उपरोक्त भूमि पर वादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज हरकचंद मालपानी व उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण सं. 1 ता 4 का कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 19.02.2003 को 2 बीघा कृषि भूमि वादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज हरकचंद मालपानी द्वारा ओर खरीद की गई और उक्त खरीद की गई भूमि की एवज मे प्रतिवादी सं. 3 द्वारा पूर्व मे खरीद की गई भूमि के किलों मे शेष रही भूमि वा मुरब्बा नं.43 के किला नं. 1 मे शेष रही भूमि का कब्जा दिया गया। इस प्रकार से खरीद की दिनांक से मुरब्बा नं.43 के किला नं. 1 व मुरब्बा नं.36 के किला नं. 21 ता 25 कुल 6 बीघा भूमि पर वादीगण सं. 1 ता 4 का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। इसी प्रकार ही वादी सं.5 ने प्रतिवादी सं.1 से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 28.11.2006 के द्वारा 0.379है० अर्थात् 1 बीघा 10 बिस्वा खरीद की व वादिया सं. 6 द्वारा इसी तारीख को प्रतिवादी सं. 1 से इसी खाता की 0.380 है 0 खरीद की। इस प्रकार कुल 3 बीघा खरीद की तथा मौके पर प्रतिवादी सं.1 द्वारा वादीगण सं. 5 व 6 को उपरोक्त खाता के मुरब्बा नं.37 के किला नं.16 व 25 सालम तथा मुरब्बा नं.42 के किला नं.5 सालम। इस प्रकार से कुल 3 बीघा का कब्जा वादी सं. 5 व 6 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा संभलवाया गया। जिस पर खरीद की दिनांक से वादीगण सं.5 व 6 लगातार आज तक काबिज चले आ रहे हैं। वादी सं.5 द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा 0.3790 भूमि खरीद की, जैसा कि बैयनामा में दर्ज है। बैयनामा की नकल शामिल है। मगर सहवन से उसके नाम से जमाबंदी में 0.759है0 दर्ज हो गई, अतः वह जमाबंदी में दुरूस्ती करवाकर अपने नाम से 0.379है0 दर्ज करवाने अर्थात् अपने आप को 0.759है0 के स्थान पर 0.379है0 दर्ज करवाने अर्थात् अपने आप को 0.759है0 के स्थान पर 0.379है0 का खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है । उपरोक्त खाता की भूमि में से वादीगण ने वाद – पत्र की चरण सं. 3,4 में दर्ज किला वाईज भूमि क्रय की गई तथा खरीद के रूह से इस पर भारी मेहनत व रूपया लगाकर काबिल काश्त बनवाया हुआ है, अब प्रतिवादीगण के मन मे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

लालच आ गया है तथा वह इस खाता की अच्छी भूमि को मुतकिल करके व वादीगण को बेदखल करके अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। अतः वादीगण के लिए विभाजन का वाद लाना विभाजन में वाद-पत्र की चरण सं. 3,4 में दर्ज किला वाईज आराजी अपने नाम दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। वादीगण अपने कब्जा की भूमि में और अधिक सुधार करवाना चाहते हैं इसलिए भी खाता विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर करवाया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी हीराराम वल्द राऊराम के नाम से वाके चक 3 ए छोटी के खाता सं. 126/79 के मुरब्बा नं. 35, 36, 37, 42, 43 की कुल आराजी में से 500 हिस्सा यानि 6.326है0 रकबा दर्ज था जिसमें से हीराराम द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा 4 बीघा यानि 1.012है0 रकबा वादीगण सं. 1 ता 4 के पूर्वज हरखचंद मालपानी को विक्रय कर दिया उक्त बैयनामा का इन्तकाल सं. 128 दिनांक 18.10.98 को अंकित किया गया। उक्त इन्तकाल में से विक्रित रकबा काटने के बाद 5.313है0 दर्ज करना चाहिए था, लेकिन इन्तकाल में 5.373है0 दर्ज हो गया, इस कारण उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है व इसी अनुसार ही आईन्दा जमाबंदियों में भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बार-बार तलब व तकाजा किया कि वह खाता का विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर करवाकर वादीगण के नाम से किला वाईज भूमि अलग कक्रतायम करवाकर दर्ज करवाये मगर वह टालमटोल करते हुए दिनांक 16.04.2015 को साफ इन्कारी हैं, जो कि यही मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

उक्त आराजी श्रीमान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, अतः दावा वादीगण काबिल समायतवाला है तथा तारीख इन्कारी से बिना किसी देरी के उचित न्याय शुल्क पर पेश है । प्रतिवादी सं.4 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है । लिहाजा वादीगण की ओर से दावा पेश कर अर्ज है कि दावा, वादीगण बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः-

(क) यह कि डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि वादी सं. 5 के नाम से चक 3 ए छोटी के खाता सं. 126/79 में जो 0.759है0 दर्ज है, के स्थान पर 0.379 है0 दर्ज है, के स्थान पर 0.379है0 का खातेदार दर्ज किया जावे।

(ख) कि डिक्री खाता विभाजन चक 3 ए छोटी के खाता सं. 126 / 79 मुरब्बा नं. 35, 36, 37, 42, 43 की कुल 11.385 है0 की वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के बीच में कब्जा काश्त के आधार पर सादिर की जाकर वादीगण सं.1 ता 4 को वाद पत्र की चरण सं. 3 तथा वादी सं.5.6 को वाद पत्र की चरण सं.4 में अंकित आराजी किलावाईज विभाजन में देते हुए अलग खाता कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) कि संशोधन की डिक्री इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी सं. 3 हीरा वल्द राऊराम के नाम से इन्तकाल सं.128 दिनांक 18.10.98 के अनुसार उसके द्वारा विक्रित रकबा काटने के बाद शेष रकबा 5.373 है0 के स्थान पर 5.313 है0 दर्ज किया जावे वा उसी अनुसार ही आईन्दा जनाबंदियों में संशोधन किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मय दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस, समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की विधिवत तामील होने एवम् प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

पेशकार राज द्वारा रपट जवाब पेश किया गया।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। प्रकरण में वादी संख्या 5 व 6 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी हद तक वाद को विड्रा कर लिया है। प्रकरण में वादी संख्या 1 ता 4 की भूमि का प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद का निर्णय किया जावे।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात एवं तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2066-2069 चक 3 ए छोटी, पटवार हल्का रामनगर, भू.अ.नि.वृत्त 18 जैड, खाता संख्या 126/15 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी शामलाती खाता की आराजी है एवम् वादी संख्या 1 ता 4 अपने हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी पाये जाने पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने क्रमांक 581 दिनांक 30.01.2025 के प्रस्ताव पेश किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से वकील वादीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर करते हुए मुताबिक प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रेषित प्रस्ताव में अंकित है कि इन्तकाल संख्या 406 दिनांक 21.03.2002 पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 25.05.2022 की पालना में अपील संख्या 19/2022 पूर्णलाल बनाम कृष्ण वगैरह व स्टेट वर्णित भूमि का मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति रखी जावे का नोट लगा हुआ है। इस सम्बन्ध में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण अपील प्रकरण पूर्णलाल बनाम कृष्ण वगैरह की जैरकार पत्रावली की नकल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्थगन वादी के हितों पर प्रभाव न होकर प्रतिवादी संख्या 3 के परिवार के मध्य है। वदीगण का उक्त रकबा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह स्थगन वादी के हितों पर निष्प्रभावी है। अतः वाद का निर्णय किया जावे।

हमने पत्रावली पर प्रस्तुत अपील प्रकरण की नकल का अवलोकन किया गया। हम वादी के दिये गये तर्कों से सहमत है। अपील प्रार्थना पत्र जारी स्थगन प्रतिवादी हीरालाल के वारिसान के मध्य आपसी विवाद के सम्बन्ध में जारी है। उक्त स्थगन से वादीगण का हित प्रभावित नहीं है। अतः वादीगण की भूमि की हद तक खाता विभाजन का वाद डिक्री किया जा सकता है।

|| आदेश ||

वाद वादीगण मुताबिक तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार	रकबा का विवरण
1	अनुपमा पत्नी सुरेन्द्र चाण्डक हिस्सा 1/45 जाति मालपानी साकिन 20 सी ब्लॉक श्रीगंगानगर	चक 3 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 123 के मुरब्बा नं. 36 के किला नं.21(0.253 हैक.), 22(0.253 हैक.), 23(0.253 हैक.), 24(0.253 हैक.), 25(0.253 हैक.) नहरी, एवम् मुरबा नम्बर 43 के किला नम्बर

अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

	कर्ण पुत्र राजकुमार हिस्सा 1/45 जाति पेडीवाल निवासी रायसिंहनगर खातेदार प्रदीपा पत्नी गोपालराम पेडीवाल हिस्सा 1/45 निवासी रायसिंहनगर खातेदार राघव पुत्र रमेश मालपानी हिस्सा 1/15 जाति मालपानी निवासी 20 सी ब्लॉक गंगानगर खातेदार	21(0.253 हैक.) नहरी
2	शेष खाता बदस्तूर रहेगा।	

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वादी के हिस्से को अलग किये जाने के पश्चात् शेष खाता में स्थगन का नोट यथावत रहेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.07.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner